

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं**. 1947] No. 1947] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

सं. 65/2016

## आयकर

का.आ. 2616(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (iii) के उपखंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (एम यू डी आर ए) अधिसूचित करती है।

(2) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 65 /2016/फा. सं. 275/28/2015-आई टी (बी)]

संदीप सिंह, अवर सचिव

3877 GI/2016 (1)

### MINISTRY OF FINANCE

# (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2016

### No. 65/2016

### **INCOME-TAX**

**S.O. 2616(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section (3) of section 194A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Micro Units Development & Refinance Agency Limited (MUDRA) for the purposes of sub-section (3) of said section.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 65/2016/F. No. 275/28/2015-IT (B)]

SANDEEP SINGH, Under Secy.